न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2017
प्रविष्टि दिनांकः– 06.04.2017

मोतीलाल पुत्र मोहनलाल जाति जैन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
रिव्यूकर्ता

बनाम

ग्राम जनता नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक जरिये–
1–कैलाश पुत्र रामस्वरूप सैन निवासी वार्ड नं. 04 ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 कुल कस 11

अप्रार्थीगण

रिव्यू अ0 धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बाबत निरस्त किये जाने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 23.02.2017

उपस्थितः (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक रिव्यूकर्ता
(2) श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 6, 8 ता.10 व 12
(3) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 11

निर्णय

दिनांक 30.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र रिव्यू का सार इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 23.02.2017 निर्णय पारित किया गया है जिसे निरस्त कराने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेण्ट्स की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं मूल पत्रावली तलब की गई। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रिव्यूकर्ता ने दोराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता.10 द्वारा एक रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत नासिरदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 के संबध मे प्रस्तुत की थी, उक्त रिवीजन मे प्रार्थी रिव्यूकर्ता के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए और महत्वपूर्ण दस्तावेजात पर गोर नही करते हुए यह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। प्रार्थी रिव्यूकर्ता को बिना सुने उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और जो पक्षकार माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, उन्होने महत्वपूर्ण तथ्यो को माननीय न्यायालय के समक्ष नही रखकर उक्त तथ्यो को छिपाते हुए उक्त निर्णय पारित करवाया है। जबकि उक्त पट्टे को सही मानते हुए न्यायालय न्यायधिकारी ग्राम न्यायालय देवली द्वारा ग्राम पंचायत को पाबंद किया गया था। उक्त प्रकरण मोतीलाल बनाम ग्राम पंचायत आदि था। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2015 को पारित की गई थी,उक्त निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विवादित पट्टे के आधार पर जारी किया था। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील माननीय जिला न्यायाधीश टोंक के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिला न्यायाधीश टोंक ने भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपील की सुनवाई करने के उपरान्त उनवानी अपील ग्राम पंचायत नासिरदा बनाम मोतीलाल को खारिज करते हुए प्रार्थी रिवीजनर के ह कमे फैसला सुनाया है। उक्त निर्णय की जानकारी ग्राम पंचायत नासिरदा व अन्य पक्षकारान को थी, उक्त निर्णय व डिक्री के संबंध मे महत्वपूर्ण तथ्यो को माननीय न्यायालय के समक्ष नही रखकर माननीय न्यायालय से उक्त तथ्यो को छिपाते हुए यह निर्णय पारित करवाया है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी थी, किन्तु प्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय को पारित किया है जो विधि सम्वत नही है। न्यायालय न्यायधिकारी देवली एंव जिला न्यायाधीश टोंक द्वारा पट्टे को वैध मानकर ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थित मे माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य रिवीजन की सुनवाई मे नही आये थे, उक्त तथ्य रिवीजन की सुनवाई मे महत्वपूर्ण थे, जो जानबूझकर प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी स्थित मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 को रिव्यू किया जाकर उक्त दोनो न्यायालय की निर्णय व डिक्रीयो को रिकार्ड पर लिया जाकर नियमानुसार उक्त निर्णय व डिक्रीयो को आधार बनाकर उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2017 को पुर्नावलोकन कर नये सीरे से निर्णय पारित किया जाना उचित एंव न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या1 ता 6, 8 ता.10 व 12 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत नासिरदा द्वारा रिव्यूकर्ता को जारी भूमि के पट्टे से संबंधित मिसल नं. 146 दिनांक 07.10.1981 ग्राम पंचायत नासिरदा के रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। इस सबंध मे ग्राम जनता ने तथाकथित पट्टे की जांच के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी देवली को निवेदन करने पर उन्होने विकास अधिकारी देवली को पट्टे की जांच बाबत आदेशित किया एंव विकास अधिकारी ने प्रगति प्रसार अधिकारी को तथ्यात्मक जांच के आदेश पर प्रगति प्रसार अधिकारी ने विकास अधिकारी को विस्त्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके संबंध मे उक्त पत्रावली पंचायत पंचायत के रिकार्ड मे नही होना पाई गई तथा मोतीलाल जिसके हक मे पट्टा जारी किया गया है उसने भी कोई स्पष्टीकरण नही दिया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे उक्त भू–खण्ड राजकीय चिकित्सालय की बाउण्ड्री व नासिरदा देवली सडक मार्ग के बीच मे है, जिसकी दूरी अलग–अलग जगह पर नाप करने पर 42,51,42,24 फिट पाई गई तथा पट्टाधारक ने पट्टे के अनुसार मौके पर कोई पुख्ता निर्माण नही कराया है और मौके पर पानी का भराव क्षेत्र गड्डा है। नियमानुसार ग्राम सडको के मध्य रेखा से 50 फिट दूरी होना आवश्यक है। रिव्यूकर्ता ने फर्जकारी करके छल,कपटपूर्ण तरीके से बिना किसी कोरम व पंचायत रिकार्ड के पट्टा बनाया है जबकि उसे वास्तविक पट्टा जारी ही नही किया गया है। रिव्यूकर्ता ने जिस स्थान का पट्टा अपने ह कमे जारी होना बताया है वह भूमि खुले चौ के रूप मे है तथा वृक्षारोपण के लिए सार्वजनिक स्थान है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नासिरदा की सीमा मे आता है। तथाकथित पट्टा संख्या 18 के संबंध मे ग्राम पंचायत नासिरदा मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है,पट्टा फर्जी है,उक्त पट्टे के तहत कभी पट्टाधारक का कब्जा नही रहा और ना ही कोई निमार्ण कराया है। रिव्यूकर्ता की और से दिनांक 02.12.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी वास्ते निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर दिनांक 23.02.2017 को विधि सम्वत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की त्रृटि नही है। अतः रिव्यूकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 11 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रकार का कोई पट्टा रिव्यूकर्ता के हक मे जारी नही किया जिसमे पंचायत मे उक्त पट्टे से संबंधित कोई रिकार्ड या पत्रावली नही होना पाया गया। निर्णय मे अगर रिकार्ड बाबत त्रृटि रह जाती है तो उसे सुधार किया जा सकता है। अस्पताल एंव सडक के मध्य और किसी को पट्टा जारी नही किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली की जांच मे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

पट्टा फर्जी पाया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2017 को नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः रिव्यूकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तथाकथित पट्टा संख्या 18 के संबंध मे ग्राम पंचायत नासिरदा मे कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है,पट्टा फर्जी है,उक्त पट्टे के तहत कभी पट्टाधारक का कब्जा नही रहा और ना ही कोई निमार्ण कराया गया है। रिव्यूकर्ता की और से दिनांक 02.12.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी वास्ते निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही प्रस्तुत किया था,परन्तु रिव्यूकर्ता दिनांक 23.02.2017 को भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने से न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर दिनांक 23.02.2017 को विधि सम्वत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की त्रृटि नही है।

अभिभाषक रिव्यूकर्ता का कथन है कि न्यायालय न्यायधिकारी देवली एंव जिला न्यायाधीश टोंक द्वारा पट्टे को वैध मानकर ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थित मे माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य रिवीजन की सुनवाई मे नही आये थे, उक्त तथ्य रिवीजन की सुनवाई मे महत्वपूर्ण थे, जो जानबूझकर प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी स्थित मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 को रिव्यू किया जाकर उक्त दोनो न्यायालय की निर्णय व डिक्रीयो को रिकार्ड पर लिया जाकर नियमानुसार उक्त निर्णय व डिक्रीयो को आधार बनाकर उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2017 को पुर्नावलोकन कर नये सीरे से निर्णय पारित किया जाना उचित एंव न्यायसंगत है, अपितु ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ना होकर न्यायालय हाजा को है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि निर्णय की वैधता/अवैधता के बारे मे रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता बल्कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। निर्णय में यदि रिकार्ड बाबत त्रृटि रह जाती है तो उसे सुधार किया जा सकता है। अस्पताल एंव सडक के मध्य और किसी को पट्टा जारी नही किया गया है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली की जांच मे पट्टा फर्जी पाया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2017 को विधि सम्वत निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की त्रृटि नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:06:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: